



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश

निदेशालय के आदेश पृ० क० केसी/टीए/स्था०/चतुर्थ श्रेणी/प्रशा०१/
एए५/३०८३ दिनांक २४.१०.२०१३ द्वारा श्री दिलावर सिंह, वर्कशाप अटैण्डेंट, राजकीय
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) समालखा से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, गन्नौर के जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश रद्द किये जाते हैं।

दिनांक:-१२.१२.२०१३

R.C.VERMA, IAS
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० कमांक केसी/टीए/स्था०/चतुर्थ श्रेणी/प्रशा०१/एए५/५२५५ दिनांक १३-१२-२०१३

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

१. ओ.एस.डी./मुख्यमंत्री।
२. निजी सचिव/आई.टी.एम.।
३. निजी सचिव/प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।
४. निजी सहायक/निदेशक।
५. नोडल अधिकारी वेबसाईट को ये आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
६. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गन्नौर तथा (महिला), समालखा।

सहायक निदेशक (प्रशासन-१)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।